



केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 17265

01 10 2024

विषय: IS 17265 : 2023 (चिकित्सीय वस्त्रादि — 100 प्रतिशत पालिएस्टर कते हुए कोरा एवं सफ़ेद धागे विशिष्टि) में संशोधन संख्या 2 का कार्यान्वयन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 17265 : 2023 में संशोधन संख्या 2 प्रकाशित हो चुकी है। IS 17265 : 2023 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की अंतिम तिथि **05 मार्च 2025** है। सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 17265 : 2023 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और **05 मार्च 2025** तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(हरीश मीना)
वैज्ञानिक-सी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2)

सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 17265

01 10 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 2 to Indian Standard 17265: 2023 (Textiles — 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarns — Specification)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 2 to IS 17265: 2023 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 2 to IS 17265: 2023 is **25 March 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **25 March 2025**

(Harish Meena)
Scientist C (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices